

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1071 /
दो-13-41/25

जबलपुर, दिनांक 10 / 02 / 2026

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4131/82/नि-1/चार, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम /चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्व. श्री गिरिजा प्रसाद मिश्रा, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की मृत्यु दिनांक 25/05/2025 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 289 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त धनराशि का भुगतान श्रीमती आशा मिश्रा पति स्व. श्री गिरिजा प्रसाद मिश्रा, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/1072 /
दो-13-41/25

जबलपुर, दिनांक 10 / 02 / 2026

प्रतिलिपि :-

1. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. मुख्यपीठ जबलपुर,
2. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. मुख्यपीठ जबलपुर
5. श्रीमती आशा मिश्रा पति स्व. श्री गिरिजा प्रसाद मिश्रा, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर मो. 8349780011, 9399261572 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)